भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3282
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

विधिक तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

3282. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधिक तंत्र में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए कोई विशिष्ट नीतियां या दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारत में लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों की दक्षता में सुधार लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) भारत के विधिक तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने में आ रही सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग ई-न्यायालय परियोजना के भाग 3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में उल्लेखित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर ही किया जाएगा । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा, निजता के अधिकार को संरक्षित करने की दृष्टि से डेटा संरक्षण के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव/सिफारिश करने के लिए, विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों की एक उप-समिति, जो कि डोमेन विशेषज्ञों के तकनीकी कार्य समूह द्वारा सहायता प्राप्त है, गठित की गई है । उप-समिति को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन बनाई गई डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा वितरण

समाधानों का संवेदनशीलता से मूल्यांकन और परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है, जिससे डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजता की संरक्षा करने के लिए समाधान प्रदान किए जा सकें ।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मामले प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है । ये उपकरण संवैधानिक न्यायपीठ मामलों में मौखिक तर्कों को लिप्यंतरित (ट्रांसक्राइब) करने में प्रयुक्त हो रहे हैं । एआईए सहायता से लिप्यंतरित किए गए तर्कों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है । भारत का उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के निकट सहयोग से, निर्णयों का अंग्रेजी भाषा से 18 भारतीय भाषाओं, जैसे असमिया, बंगला, गारो, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगू और उर्दू में अनुवाद करने के लिए, एआई और एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा है । निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है ।

भारत का उच्चतम न्यायालय, आईआईटी मद्रास के निकट समन्वय में, दोषों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत एआई और एमएल आधारित उपकरण विकसित और लागू किया है । प्रोटोटाइप की पहुँच 200 एडवोकेट्स-ऑन-रिकार्ड को दी गई है । इसके अतिरिक्त, भारत का उच्चतम न्यायालय आईआईटी मद्रास के सहयोग से दोष ठीक करने, मेटा डेटा निष्कर्षण के लिए एआई और एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का परीक्षण कर रहा है । यह एआई और एमएल आधारित उपकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और केस प्रबंधन सॉफ़्टवेयर, अर्थात् इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई गई है ।

न्यायालय दक्षता में उच्चतम न्यायालय पोर्टल सहायता (एसयूपीएसीई) नामक एक एआई आधारित उपकरण, मामलों के तथ्यों की रूपरेखा को समझने के लिए एक मॉड्यूल विकसित करने के उद्देश्य से, प्रकरणों की पहचान करने के साथ-साथ पूर्व-निर्णय की बुद्धिमान खोज के लिए, विकास के प्रयोगात्मक चरण में है । एसयूपीएसीई को ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित इकाइयों जैसे टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट की अधिग्रहण और संचालन के बाद लागू किया जा सकता है । हालाँकि, भारत के उच्चतम न्यायालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई एआई और एमएल आधारित उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, न्यायिक प्रक्रियाओं में एआई को एकीकृत करने में चुनौतियों में मामले प्रबंधन, विधिक अनुसंधान और अनुवाद सेवाओं में एआई एल्गोरिदम में संभावित पूर्वाग्रह, भाषा की बाधाएँ, अनुवाद की सटीकता, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा पर चिंताएँ सम्मिलित हैं । प्रौद्योगिकी, कौशल उन्नयन

और प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग में निरंतर अपग्रेड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । ई-न्यायालय चरण 3 के अधीन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहित एआई के हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए 208.52 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । इसके अतिरिक्त, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने में इन भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उनके अपनाने के लिए 53.57 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

****